न्यायालयः जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश 03, वैशाली, हाजीपुर ।

प्रोवेट वाद संख्या–04 / 2010

सुमित्रा देवी एवं अन्य बनाम् बुधन सिंह एवं अन्य

आदेश

07.01.2026 उभय पक्षों की ओर से अलग–अलग हाजिरी दी गयी। वाद अभिलेख आज मेरे समक्ष प्रस्तुत आवेदिका वर्तिका सिंह की ओर से दाखिल इस आश्य के आवेदन पर आदेश हेतु प्रस्तुत है कि आवेदिका सं–05 विभा देवी की मृत्यु दिनांक–11.12.2024 को हो गयी है तथा वह अपने पीछे एक मात्र पुत्री वर्तिका सिंह एवं अपने पति–नरेश प्रसाद सिंह को छोड़कर मर गयी है, जो इस वाद में विपक्षी सं0–04 है तथा न्यायहित में मृतक आवेदिका विभा देवी का नाम वाद पत्र से कलमजद करके उनके स्थान पर एक मात्र पुत्री वर्तिका सिंह का नाम जोड़ने का आदेश देने की कृपा की जाय।

आवेदिका के उक्त आवेदन का विपक्षी सं0–05 अजय कुमार सिंह की ओर से दिनांक–24.01.2025 को विरोध पत्र दाखिल कर कथन किया गया है कि आवेदक बिल्कुल गलत कथनों के साथ मालाफायडी नियत से दाखिल किया गया है तथा आवेदिका सं0–05 विभा देवी, पति–नरेश प्रसाद सिंह की हरगिज मृत्यु नहीं हुई है, बल्कि आवेदक मुकदमा में व्यवधान डालने की नियत से आवेदन दाखिल किया है तथा आवेदिका सं0–05 एवं दिगर आवेदकगण एक ही परिवार के सदस्य हैं, ऐसी स्थिति में आवेदक की ओर से दाखिल आवेदन के समर्थन में विभा देवी के नाम का मृत्यु प्रमाण–पत्र अथवा उसके नाम का आधार कार्ड आवेदक द्वारा न्यायालय में जबतक दाखिल नहीं किया जाता है, तब तक आवेदक का प्रतिस्थापन आवेदन मंजूर नहीं हो सकता है। विदित हो कि इच्छा पत्र फरेब का तैयार कराया गया है, जिसका विरोध जब विभा देवी द्वारा किया गया तो आवेदक फरेब कर एक नया साजिश के तहत् प्रतिस्थापन आवेदन न्यायालय में दाखिल किया है एवं हरगिज विभा देवी आवेदकगण के परिवार की सदस्य नहीं है और न ही विभा देवी की पुत्री वर्तिका सिंह है। अतः प्रार्थना है कि आवेदक द्वारा दाखिल प्रतिस्थापन आवेदन खारिज करने की कृपा की जाय।

दिनांक–03.07.2025 को आवेदक लालबाबू सिंह के द्वारा एक आवेदन इस आशय का दिया गया है कि आवेदिका सं0–05, जो विपक्षी सं0–04 की पत्नी है, जिन्हे विपक्षी सं0–04 एवं परिवार के अन्य सदस्य विभा देवी के नाम से पुकारते आये और परिवार में उनका प्रचलित नाम विभा देवी रहता आया, जिस वजह से वसीयतकर्त्ता, जो रिश्ते में ससुर लगते थें, उन्होंने वसीयत में आवेदिका सं0–05 का नाम, जो उनके पुकार का नाम था, दर्ज किया है तथा मुताबिक जिसके मूल आवेदन या अन्य जहां कही भी आवेदिका सं0–05 का नाम दर्ज हुआ, प्रत्येक जगह उनका नाम विभा देवी ही दर्ज किया गया, जबकि उनका ऑफिशियल नाम सुजाता सिंह रहता आया है लेकिन पारिवारिक राशन कार्ड भी विभा देवी, पति–नरेश प्रसाद सिंह के नाम से है एवं र्दुभाग्यवश मुकदमा के दौरान दिनांक–11.12.2024 को दुर्घटनाग्रस्त हो गये एवं उनकी मृत्यु हो गयी तथा चूंकि मूल आवेदन पत्र में आवेदिका सं0–05 का नाम विभा देवी दर्ज है, इसका फायदा उठाकर विपक्षी द्वारा विरोध पत्र में यह कथन किया है कि आवेदिका सं0–05 की मृत्यु नहीं हुई है, जबकि विभा देवी एवं सुजाता सिंह दोनों एक ही महिला थीं, जिनके पति का नाम नरेश प्रसाद सिंह एवं पुत्री का नाम वर्तिका सिंह उर्फ निशु कुमारी सिंह है तथा प्रस्तुत वाद में आवेदिका सं0–05 में पति –नरेश प्रसाद सिंह पूर्व से विपक्षी सं0–04 के रूप में पक्षकार हैं और उनकी एक मात्र पुत्री वर्तिका सिंह उर्फ निशु कुमारी सिंह को आवेदिका सं0–05 के स्थान पर पक्षकार बनाये जाने हेतु एक आवेदन दिनांक–13.01.2025 को दाखिल किया गया है और उसी आवेदन के कन्टीनियूएशन में प्रस्तुत आवेदन दाखिल किया जाता है, जिसे पूर्व आवेदन दिनांक–13.01.2025 की अंश समझा जाय।

आवेदक के उक्त आवेदन का विपक्षी सं0–05 की ओर से दिनांक–11.07.2025 को विरोध पत्र दाखिल करते हुए कथन किया है कि आवेदक मालाफायडी नियत से सत्यता को छिपाते हुए

Web copy not official

अपने पूर्व के आवेदन दिनांक–13.01.2025 के अंश समझे जाने हेतु दाखिल किया है, जो हरगिज मंजूरी के लायक नहीं है तथा आवेदकगण शुरू से ही हरदेव सिंह की संपति को हरपने की नियत रखते आये एवं उनकी मृत्यु के उपरांत फरेब करके तथाकथित दस्तावेज (इच्छा पत्र) वजूद में ले आये एवं जानबुझकर जब विभा देवी जो कही अन्यत्र रहने वाली महिला है, ने इस विल का विरोध करना शुरू किया तो विभा देवी का उर्फ नाम सुजाता सिंह बताते हुए उनके नाम को ही काटकर हटा देने की साजिश रचे जाने लगी एवं उसी साजिश के तहत् दिनांक–13.01.2025 को आवेदन दाखिल किया गया तथा आवेदकगण का मालाफायडी नियत इससे भी स्पष्ट होगा कि दिनांक–13.01.2025 को जो आवेदन न्यायालय में दाखिल हुआ वह वर्तिका सिंह के द्वारा दाखिल किया गया और वह आवेदन भी अधिवक्ता के द्वारा सी0पी0सी0 के प्रावधानों के तहत् सत्यापित नहीं है एवं न ही कोई तिथि उस पर अंकित है। इतना ही नहीं दूसरा आवेदन दिनांक–03.07.2025 को न्यायालय में दाखिल किया गया वह वर्तिका सिंह के द्वारा दाखिल नहीं किया गया, बल्कि लालबाबू सिंह के द्वारा दाखिल किया गया है। ऐसी स्थिति में वर्तिका सिंह द्वारा दाखिल आवेदन का अंश हरगिज लालबाबू सिंह द्वारा दाखिल आवेदन दिनांक–03.07.2025 नहीं हो सकता है तथा उक्त दोनों आवेदन से यह स्पष्ट हो जाता है कि आवेदकगण पूर्णरूपेण मालाफायडी नियत रखते हैं तथा आवेदकगण ने अपने प्रोवेट आवेदन के किसी भी कंडिका में विभा देवी का उर्फ नाम सुजाता देवी है, जिक्र नहीं किया है और न ही लालबाबू सिंह ने भी अपने गवाही के दौरान न तो अपने शपथ–पत्र में इस तथ्य का जिक्र किया है, और न ही प्रतिपरीक्षण में यह बात कही कि विभा देवी एवं सुजाता देवी एक ही महिला हैं तथा हरगिज विभा देवी एवं सुजाता देवी एक महिला नहीं है। अतः प्रार्थना है कि आवेदन दिनांक–03.07.2025 खर्चा के साथ खारिज किया जाय।

उभय पक्षों के तर्कों को सुना एवं अभिलेख को अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से स्पष्ट है कि यह प्रोवेट वाद लगभग 15 वर्ष पुराना वर्ष 2010 का है तथा इस वाद में आवेदिका सं0–05 विभा देवी, पति–नरेश प्रसाद सिंह के अतिरिक्त 04 अन्य आवेदक ओर भी हैं, एक क्षण के लिए यदि विभा देवी का नाम विलोपित भी कर दिया जाय तो भी वाद की प्रकृति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि 04 अन्य आवेदकगण का यह प्रोवेट वाद जारी रखने का अधिकार अभी भी जीवित (Right to Sue is Survive) है। अभिलेख अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि आवेदिका वर्तिका सिंह के द्वारा दाखिल आवेदन दिनांक–13.01.2025 शपथ–पत्र द्वारा समर्थित है तथा विपक्षी सं0–05 ने कही भी यह कथन नहीं किया है कि वर्तिका सिंह विपक्षी सं0–05 की पुत्री नहीं है। अतः न्यायहित में आवेदिका वर्तिका सिंह की ओर से दाखिल आवेदन दिनांक–13.01.2025 स्वीकार करते हुए कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि वे आवेदिका सं0–05 विभा देवी का नाम विलोपित कर उनके स्थान पर वर्तिका सिंह माता विभा देवी का नाम प्रतिस्थापित करें।

दिनांक–22.01.2026 विपक्षी सं0–05 की ओर से साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु।

लेखापित

(उमेश कुमार शर्मा)

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश –03

web copy not official